

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम-गुरुवार हेतु निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रदेश में संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे?	प्रदेश में संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित वर्तमान में कोई नीति नहीं बनायी गयी है। प्रदेश के समस्त विभागीय चिकित्सा इकाईयों द्वारा संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ-साथ सभी जनमानस को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं।
(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्मियों को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ कब तक प्रदान करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री